दिनांक 08.05.2023

वाद पुकारा गया । पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। पत्रावली वाद बिन्दु सं० 2 व 3 के निस्तारण हेतु नियत है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को वाद बिन्दु संख्या 2 व 3 पर बल दिया गया।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2

वाद बिन्दु संख्या 2 इस प्रकार विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी अल्पमूल्याकिंत है?

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी व्यादेश हेतु योजित किया गया है तथा वादपत्र की धारा 16 में वाद का मूल्यांकन 2000000/– रूपये निर्धारित किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से दौरान बहस कहा गया कि वादी द्वारा वाद का मूल्याकंन कम किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई प्रपत्र दाखिल नही किया गया है, जिससे यह माना जा सके कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया हैं दूसरे यह भी महत्वपूर्ण है कि विवादित सम्पत्ति की स्थिति को देखते हुए विवादित सम्पत्ति का मूल्याकंन 2000000/– रूपये उचित है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितयों में वादी द्वारा किया गया मूल्याकंन विवादित सम्पत्ति के मूल्याकंन को दृष्टिगत रखते हुए उचित है। अतः वाद बिन्दु संख्या 2 वादी के पक्ष में निस्तारित किया जाता हैं।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3

वाद बिन्दु संख्या 3 इस प्रकार विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा अदा किया गया न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी व्यादेश हेतु योजित किया गया है तथा वादपत्र की धारा 16 में वाद का मूल्यांकन 2000000/– रूपये निर्धारित किया जाकर स्थायी व्यादेश के लिये अंकन 500/–रूपये न्याय शुल्क अदा किया गया है।

दूसरी ओर प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कहा है कि वादी ने विवादित सम्पत्ति का मूल्याकंन कम करके न्याय शुल्क कम अदा किया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई प्रपत्र दाखिल नही किया गया है, जिससे यह माना जा सके कि वादी द्वारा न्याय शुल्क कम अदा किया गया है। वादी की ओर से यह वाद विवादित सम्पत्ति के संबंध में स्थायी व्यादेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिस पर वादी द्वारा स्थायी व्यादेश के लिये अंकन 500/–रूपये न्याय शुल्क अदा किया गया है जो उचित है। अतः वाद बिन्दु संख्या 3 वादी के पक्ष में निस्तारित किया जाता हैं। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 22.05.2023 को पेश हो।

सिविल जज,(सी०डि०),
गाजियाबाद।